न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
म्यूटेशन अपील सं. 83A/2017

2017/108

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुनील वगै० v/s सहदेवराम वगै०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9/10/17	वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा ग्राम जसवन्तनगर तहसील खींवसर के खसरा नम्बर 369 के संबंध में तहसीलदार खींवसर द्वारा दिनांक 30.5.2017 को स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या–173 को जैर अपील खारिज किये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई। प्रकरण अप्रार्थीगण की तलब एवं मूल रिकार्ड की तलबी में चल रहा है। उक्त प्रकरण के संबंध में वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं सूची दस्तावेज के साथ दिनांक 5.10.2017 को पेश किया गया। आवेदन की नकल राजपैरोकार को दी गई। उक्त आवेदन के जबाब एवं बहस हेतु आज दिनांक 9.10.2017 को पेशी निश्चित की हुई है। प्रकरण में राजपैरोकार ने आवेदन पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही अपीलान्ट के आवेदन पत्र पर बहस का निवेदन किया, जिस पर अपीलान्ट के आवेदन पत्र दिनांक 05.010.2017 पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुऐ कथन किया की अपीलान्ट ने हस्तगत अपील म्यूटेशन संख्या–173/17 जो खसरा नम्बर 369 रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा मौजा जसवन्तनगर (नागड़ी) में से मांगीलाल द्वारा किये गये कथित अवैध विक्रय पत्र दिनांक 22.5.2017 के आधार पर भरा गया उस म्यूटेशन को अपील के जरिये चुनौती दी व इसके अलावा विक्रय पत्र को भी सिविल न्यायालय में भी चुनौती दी गई थी। सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर ने दिवानी वाद संख्या–87/17 सुनिल व अय बनाम सहदेवराम व अन्य का निर्णय जरिये राजीनामा करते हुए वाद को स्वीकार कर उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करने का निर्णय व डिक्री दिनांक 26.9.2017 को पारित किया गया, जिस निर्णय व डिक्री, वाद पत्र व आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की हुई हैं। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा हस्तगत विक्रय पत्र दिनांक 22.5.2017 को उप पंजीयक कार्यालय खींवसर में पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या 218 पृष्ठ संख्या–20 कम संख्या–2017001163 पर पंजिबद्ध किया गया उसे अवैध मानकर निरस्त किया गया है, इसलिए ऐसे अवैध विक्रय पत्र के आधार पर भरवाये गये नामान्तरकरण संख्या–173/17 का भी कोई औचित्य नहीं रह जाने का कथन करते हुए नामान्तरकरण संख्या 173/17 मौजा जसवन्तनगर (नागड़ी) तहसील खींवसर को निरस्त करने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया की यह सही है कि हस्तगत प्रकरण में जैर अपील नामान्तरकरण संख्या–173 ग्राम जसवन्तगनगर तहसील खींवसर के संबंध में पटवारी नागड़ी द्वारा उप पर्जीयक खींवसर के दिनांक 22.5.2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 218 पृष्ठ संख्या–20 कम संख्या–2017001163 पर पंजीबद्ध बेचाननामा के मुताबिक क्रेता के हक में नामान्तरकरण दर्ज कर जॉच व निर्णय हेतु भू अभिलेख निरीक्षक लालावास के सक्षम प्रस्तुत किया, जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक लालावास द्वारा बाद जॉच तहसीलदार खींवसर को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार दिनांक 30.05.2017 स्वीकृत किया गया है, जो अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या–173 की प्रमाणित प्रति अनुसार सही है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दिवानी मूल वाद संख्या–86/2017 सुनील वगैरह बनाम सहदेव वगैरह में सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर के निर्णय दिनांक 26.9.2017 के अनुसार ग्राम जसवन्तनगर तहसील खींवसर की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 369 रकबा 26.17 बीघा में प्रतिवादी संख्या–2 (मांगीलाल) ने अपना हिस्सा बताकर दिनांक 22.05.2017 को प्रतिवादी संख्या– 1 के हक में जो विक्रय पत्र निष्पादित करके दिनांक 22.05.2017 को पुस्तक संख्या–1	

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
म्यूटेशन अपील सं.- 83A/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुनील कौ० v/s सहदेवराम वगै०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9/10/17 (Continue)	जिल्द संख्या– 218 में पृष्ठ संख्या–20 कम संख्या 2017001163 पर पंजीयन करवाया गया है, उक्त विक्रय पत्र को निरस्त किया गया है। साथ ही संबंधित राजस्व अधिकारी को तदनुसार राजस्व रिकार्ड/अधिकारों के अभिलेख में संशोधन करने आदि के निर्देश दिये है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण जैर अपील को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार खींवसर को संबंधित पक्षकारान की सुनवाई कर एवं माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 एवं जारी डिकरी पर्चा के सन्दर्भ में वादग्रस्त नामान्तरकरण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार खींवसर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है। वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में अपीलान्ट एवं राजपैरोकार द्वारा अपनी बहस में किये गये उक्त कथन उचित पाये जाते है। अतः वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2017 के सन्दर्भ में अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण जैर अपील का निरस्त किया जाता है और मामला तहसीलदार खींवसर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह नामान्तरकरण जैर अपील के सन्दर्भ में संबंधित पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर एवं माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 एवं जारी डिकरी पर्चा के संन्दर्भ में वादग्रस्त नामान्तरकरण पर पुनः सुनवाई कर यथोचित समयावधि में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेशिका की प्रति तहसीलदार खींवसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (कुमार पाल गौतम) जिला कलक्टर नागौर कलक्टर, नागौर	